रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2016/श्रावण 11, 1938
No. 532] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2016/SRAVANA 11, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2016

सा.का.नि.753(अ) .--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 में,--

(क) "सहायक ग्रेड" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमश: "सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) नियम 5 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण : सेवा की प्राधिकृत संख्या समय-समय पर सरकार द्वारा इंगित परिवर्तन के अधीन होगी।" ;

(ग) नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण : पदों का संवर्ग एकक वार वितरण समय-समय पर सरकार द्वारा इंगित परिवर्तन के अधीन होगा ।" ;

(घ) नियम 11 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां पाँच साल की अनुमोदित सेवा रखने वाले पर्याप्त संख्या में पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, उस ग्रेड में तीन वर्ष से अन्यून नियमित सेवा रखने वाले चयन ग्रेड के नियमित अधिकारी और उनकी ग्रेड 1 में नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष से अन्यून अनुमोदित सेवा रखने वाले अधिकारी भी प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे ।" ;

(ङ) नियम 12 में,--

(I) उपनियम (1) में,--

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित रिक्तियों को अनुभाग अधिकारियों के लिए चयन सूची में सम्मिलित नियुक्त व्यक्तियों से भरा जाएगा, जो सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अधिकारियों के पचास प्रतिशत से, जिन्होंने उस ग्रेड में आठ वर्ष से अन्यून अनुमोदित सेवा की है और पचास प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा से चयनित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी ।

(ii) खंड (ख) में "(ख) उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम" से प्रारंभ होने वाले, और "भी उक्त विभाग द्वारा किया जाएगा ।" से समाप्त होने वाले, भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

(ख) इस उपनियम के खंड (क) में निर्दिष्ट सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए नियमों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किया जाएगा :";

(II) उपनियम (2) में,--

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पचहत्तर प्रतिशत रिक्तियों को कंप्यूटर दक्षता रखने वाले स्नातकों से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा जैसा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए वर्ष में एक बार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर अधिसूचित किया जाएगा और शेष पच्चीस प्रतिशत रिक्तियों को सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची में, जो केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के ज्येष्ठ सचिवालय सहायकों के ग्रेड से नियमित अधिकारियों, जिन्होंने उस ग्रेड में दस वर्ष से अन्यून अनुमोदित सेवा की है, के योग के पन्द्रह प्रतिशत से मिलकर बनेगी, और दस प्रतिशत उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनका चयन केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के ज्येष्ठ सचिवालय सहायकों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, जिसका

संचालन इस प्रयोजन के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा, में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा ।

(ii) खंड (ग) में, "और इस परीक्षा के परिणाम से विभिन्न संवर्ग एककों को भी उस विभाग द्वारा अभ्यर्थियों का आबंटन" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (घ) को उपनियम (3) के रूप में पुन:संख्याकित किया जाएगा ;

(च) नियम 13 में,--

(i) उपनियम (2) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (3) में "और (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा ;

(छ) नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**14. परिवीक्षा को पूरा करना—**(1) परिवीक्षा की अवधि या विस्तारित परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो, को पूरा करने पर नियुक्ति प्राधिकारी यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार अधिकारी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करेगा और निम्नलिखित में से किसी की घोषणा करेगा :--

(क) यह कि परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है ;

(ख) यह कि परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी नहीं की गई है ; या

(ग) यह कि नियम 13 के उपनियम (3) के अधीन परिवीक्षा अवधि का विस्तार किया जाना है ।

(2) जब परिवीक्षा के अधीन सीधे भर्ती किए गए अधिकारी ने नियुक्ति प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है तो वह सेवा में पुष्टि किए जाने के लिए पात्र होगा और जब ऐसे अधिकारी ने अपनी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी नहीं की है तो उसे नियम 15 के अनुसार निर्मुक्त कर दिया जाएगा या प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा ।

(3) कोई अधिकारी तब तक परिवीक्षा पर रहेगा जब तक कि उसकी इस नियम के अधीन पुष्टि न कर दी जाए या उसे नियम 15 के अधीन निर्मुक्त या प्रतिवर्तित न कर दिया जाए ।" ;

(ज) नियम 15 में उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(4) सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड या ग्रेड 1 में परिवीक्षा पर सीधी भर्ती से भिन्न सेवा का सदस्य, जिस पर नियम 13 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर या उस नियम के उपनियम (3) के अधीन विस्तारित अवधि में उस ग्रेड में बने रहने के लिए उपयुक्त के रूप में विचार नहीं किया जाता है तो उसे, यथास्थिति, सेवा की अगले निचले ग्रेड में या केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की संबंधित ग्रेड में प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा जिससे सेवा के ग्रेड में परिवीक्षा पर उसकी नियुक्ति की गई थी :

परंतु निचले ग्रेड में इस प्रकार प्रतिवर्तित अधिकारी पर परिवीक्षा पर अगली उच्चतर ग्रेड में नियुक्ति पर पुनर्विचार केवल ऐसे प्रतिवर्तित होने की तारीख से एक वर्ष पूरा होने के पश्चात् ही किया जाएगा ।";

(झ) नियम 17 में उपखंड (v) में “4200” अंकों के स्थान पर “4600” अंक रखे जाएंगे ;

(ञ) नियम 23 में “नियम की अपेक्षा में ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रियायत दी जा सकेगी” शब्दों के स्थान पर “इस नियम की अपेक्षा को आयोग के परामर्श से शिथिल किया जा सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ट) नियम 25 में “अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों” शब्दों के स्थान पर “अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों” शब्द रखे जाएंगे ;

[फा. सं.1/8/2009-सीएस.I(पी)]

अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 140(अ) तारीख 27 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए ।

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	तारीख
1.	सा.का.नि. 759(अ)	15 सितंबर, 2010

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(**Department of Personnel and Training**)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2016

G.S.R. 753(E).– In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Secretariat Service Rules, 2009 namely :–

1. **Short title and commencement.–**(1) These rules may be called the Central Secretariat Service (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Service Rules, 2009 ,-

(A) for the words “Assistants’ Grade”, the words “Assistant Section Officers’ Grade”, wherever they occur, shall respectively be substituted;

(B) in rule 5, after sub-rule (1), the following note shall be inserted, namely :-

“Note: The authorised strength of the service shall be subject to variation to be indicated by the Government from time to time.”;

(C) after rule 6, the following note shall be inserted, namely :-

“Note: The cadre unit wise distribution of posts shall be subject to variation to be indicated by the Government from time to time.”;

(D) in the rule 11, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that where sufficient number of eligible officers with five years' approved service are not available, regular officers of Selection Grade with not less than three years' of regular service in that grade and not less than ten years approved service from their appointment to the Grade-I, shall also be eligible for promotion.";

(E) in rule 12,-

(I) in sub-rule (1),-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :-

"(a) The regular vacancies in the Section Officers' Grade shall be filled by appointment of persons included in the Select List for Section Officers' Grade comprising fifty *per cent.* from regular officers of Assistant Section Officers' Grade who have rendered not less than eight years' approved service in that Grade and fifty *per cent.* from persons selected through Limited Departmental Competitive Examination.

(ii) in clause (b), for the portion beginning with " (b) The rules for the Limited Departmental Competitive Examination" and ending with "shall also be made by that Department", the following shall be substituted, namely:-

(b) The rules for the Limited Departmental Competitive Examination referred to in clause (a) of this sub-rule shall be determined by regulations made by the Department of Personnel and Training:";

(II) in sub-rule (2),-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) Seventy-five *per cent.* of the regular vacancies in the Assistant Section Officers' Grade shall be filled by direct recruitment of graduates possessing computer proficiency as may be notified by the Department of Personnel and Training on the basis of results of a competitive examination held by the Staff Selection Commission once in a year, for this purpose and the remaining twenty-five *per cent.* vacancies shall be filled by appointment of persons included in the Select List for Assistant Section Officers' Grade comprising fifteen *per cent.* of the total from the regular officers of Senior Secretariat Assistants' Grade of the Central Secretariat Clerical Service who have rendered not less than ten years' approved service in that Grade and ten *per cent.* from persons selected through Limited Departmental Competitive Examination for Senior Secretariat Assistant of Central Secretariat Clerical Service to be conducted by Staff Selection Commission, once in a year for this purpose.";

(ii) in clause (c), the words "and the allotment of candidates from the result of this examination to the various cadre units shall also be made by that Department" shall be omitted;

(iii) clause (d) shall be renumbered as sub-rule (3);

(F) in rule 13, -

(i) sub-rule (2) shall be omitted ;

(ii) in sub-rule (3), the word, brackets and figure "and (2)" shall be omitted;

(G) for the rule 14, the following rule shall be substituted, namely :-

"14. Completion of Probation.-(1) Upon completion of the probation period or the extended probation period, if any, the appointing authority shall assess the performance of the officer, as per prescribed procedure, and shall declare either:-

(a) that the probation has been successfully completed;

(b) that the probation has not been successfully completed; or

(c) that the probation period is to be extended under sub-rule (3) of rule 13.

(2) When a directly recruited officer undergoing probation has successfully completed the probation to the satisfaction of the appointing authority, he shall be eligible for confirmation in the service and when such officer has not successfully completed his probation, he shall be discharged or reverted in accordance with rule 15.

(3) An officer shall continue to be on probation till he is confirmed under this rule or is discharged or reverted under rule 15.";

(H) in rule 15, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(4) A member of the Service other than a direct recruit on probation in Assistant Section Officers' Grade or Grade-I who is not considered suitable for continuance in that Grade during or at the end of the period of probation specified in sub-rule (1) of rule 13 or the extended period, if any, under sub-rule (3) of that rule, shall be reverted to the next lower grade of the Service or to the concerned grade of the Central Secretariat Clerical Service, as the case may be, from which he was appointed on probation to the grade of the Service:

Provided that an officer so reverted to the lower grade shall be reconsidered for appointment to the higher grade, on probation, only after completion of one year from the date of such reversion.";

(I) in rule 17, in sub clause (v), for the figures "4200", the figures "4600" shall be substituted;

(J) in rule 23, for the words "relax the requirement of the rule", the words "relax in consultation with the Commission the requirement of the rule" shall be substituted;

(K) in rule 25, for the words, "the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes", the words "the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes" shall be substituted.

[F. No.1/8/2009-CS.I(P)]

ARCHANA VARMA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide number G.S.R.140 (E) dated the 27th February, 2009 and subsequently amended by:-

S.No.	Notification No.	Dated
1.	G.S.R.759 (E)	15th September, 2010

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.